FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

प्रार्थी ....देवेन्द्र........ बनाम ....सुरज........ अप्रार्थी

किस्म मुकदमा–(प्रार्थना पत्र) ....212........ प्रकरण संख्या–........1 / 20.19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-12-2019	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री ....देवेन्द्र.... पिता ....लालजी.... जाति ....चमार.... निवासी ....वृंदावन टॉकिज के पीछे बांसवाड़ा.... द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा ....212.... विरूद्ध अप्रार्थीगण श्री ....सुरज.... पिता ....प्रवीण.... जाति ....चमार.... निवासी ....वृंदावन टॉकिज के पीछे.... के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक ....21.1.2020.... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	[illegible]
21-1-20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान P.O. साहब पंचायत चुनाव मे व्यस्त पत्रावली मे प्रतिवादियों को भिजवाए गये नोटिस बाद तामील [illegible] पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आगामी दिनांक 19-02-2020 को पेश हो। [signature]	[signature] (प्रतिवादी [illegible])
15/2/20	~~प्रतिवादी~~ पत्रावली पेश प्रतिवादी [illegible] नोटिस वादी [illegible] [illegible] आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है पत्रावली [illegible] दि 2/3/20 को पेश हो [initial]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
2.8.22	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 30-8-22 को पेश हो।	
30.8.22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण [illegible] द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन करने पर न्यायिक कार्य नहीं होने से पत्रावली दिनांक 10-10-22 को पेश हो।	
No Instruction Day 3.	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी पक्षकार अनुपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक [illegible] को पेश हो।	
29.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभय पक्ष उप० आये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल मुताबिक [illegible] के साथ [illegible] हो। निर्णय से इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर - उपखण्ड अधिकारी - बाँसवाड़ा (राज.)

प्रकरण सं. - 09/2019 दायर तारीख - 26/12/19

उनवान

1. श्री देवेन्द्र पिता लाला उम्र 40 वर्ष जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
2. " ईश्वर पिता लाला उम्र 38 वर्ष जाति चमार नि. बांसवाड़ा
3. " परमेश्वर पिता लाला उम्र 35 वर्ष जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
4. "मती चन्दा पुत्री लाला उम्र वयस्क जाति चमार नि. भूगड़ा
5. " कमला पत्नी लाला उम्र 60 वर्ष जाति चमार नि. बाँसवाड़ा

— (प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्री सूरज पुत्र प्रवीण उम्र वयस्क जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
2. " मोतीलाल पिता प्रवीण उम्र वयस्क जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
3. " कन्हैया लाल पिता प्रवीण उम्र वयस्क जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
4. "मती भूरी बेवा प्रवीण उम्र वयस्क जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
5. "मती हन्तुक बेवा प्रवीण उम्र वयस्क जाति चमार नि. बाँसवाड़ा
6. " वाला पिता हिरा उम्र वयस्क जाति चमार नि० ठीकरिया
7. " रामा उर्फ रामजीलाल पिता हिरा जाति चमार नि० बाँसवाड़ा
8. " दीपक राठौड़ पुत्र बद्रीनारायण उम्र वयस्क जाति मोची नि. बाँसवाड़ा
9. "मती मनीषा पत्नी दीपक उम्र वयस्क जाति मोची नि० बाँसवाड़ा
10. भूमिधारी तहसीलदार - बाँसवाड़ा

— (अप्रार्थीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :—

1. श्री जयेन्द्र पुरोहित — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. " हीरालाल जैन — अधिवक्ता अप्रार्थीगण (1-6, 8, 9)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

cont. . . .

-: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212 राज. काश्तकारी अधिनियम-

-: निर्णय :-

दिनांक - 29.11.22

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थना-पत्र के बिन्दु सं. 2 के अनुसार सजरा खानदान के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगा. 7 के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता सं. 349 नया 352 पुराना ख. नं. 1575 रकबा 02 बिस्वा एवं ख. नं. - 1576 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा-15 बिस्वा ग्राम बांसवाड़ा, प. ह. बांसवाड़ा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगा. 7 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त आराजियात् में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का संयुक्त रूप से $\frac{1}{2}$ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 का $\frac{1}{2}$ हिस्सा निहित होकर तदनुरूप काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 8 से 10 का कोई हक-हकूक न होकर कब्जा भी नहीं है।

वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगा. 7 के संयुक्त खातेदारी दर्ज होने एवं बंटवारा नही होने से पक्षकारों के मध्य आयेदिन विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से उक्त कृषि भूमि का अवैध एवं अनाधिकृत रूप से बेचान कर ... प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग में अप्रार्थी सं. 8 से 10 साथ मिलकर बाधा उत्पन्न कर रहे है। दिनांक 22/5/2019 को अप्रार्थी से प्रार्थीगण द्वारा समझाईश का प्रयास किया गया तो अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकिया देकर बेदखल करने को कहा ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

तथा अन्य को अन्तरित कर निर्माण कार्य करने पर भी उतारू है। उक्त विवाद 28/6/2019 को पुनः उत्पन्न हुआ यदि अप्रार्थीगण 1लगा. 9 को उक्त कृत्य कारित करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उक्त वादग्रस्त आराजियात पर अप्रार्थीगण 1लगा. 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे न तो किसी प्रकार की दखलअंदाजी करे न अन्तरण करे और न निर्माण कार्य करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1लगा. 6 व 8, 9 की ओर से श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रार्थना-पत्र पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने ~~प्रार्थी~~ प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने हम रिकार्डेड काश्तकार हैं। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावे। प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में होने से अन्य सिद्धान्त अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावें कि वो किसी प्रकार की दखल-

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Cont.-

अम्दाजी, अन्तरण, निर्माण कार्य इत्यादि न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 6 व 8, 9 ने अपने साथी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 2 में सजरा खानदान सही नहीं है कोदर की पुत्रियों व हिरा की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। वादग्रस्त आराजी संपरिवर्तित भूमि है जो जवाब के पैरा सं. 3 अंकित है। संपूर्ण भूमि संपरिवर्तित हो चुकी है कोई कृषि भूमि शेष नहीं है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा भी नहीं है। अत: प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया। जमाबंदी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 349 नया 352 पुराना ख.नं. 1575 रकबा 02 बिस्वा, 1576 रकबा 13 बिस्वा खातेदार धला पिता कोदर, रामा, वाला, लाला पिता हिरा चमार सा. देह दर्ज होकर ना.स. 4811 दिनांक 17.7.19 विरासत लाला के फौत होने से देवेन्द्र, ईश्वर, परमेश्वर, चन्द्रा पिता लाला, कमला पत्नी लाला दर्ज रिकॉर्ड हुआ। संपरिवर्तन आदेश 815-19 दिनांक 17.9.92 के तहत ख.नं. 1575 में से 1000 वर्ग गज धला पिता कोदर चमार ने संपरिवर्तित करवायी। आदेश 800-4 दिनांक [illegible] के द्वारा ख.नं. 1575 रकबा 02 बिस्वा में से 1000 [illegible] पिता हिरा चमार ने इस प्रकार ख.नं. 1575 में से कुल 2000 वर्ग गज भूमि को संपरिवर्तित करवाया गया। ख.नं. 1576 में से 1000 वर्ग गज भूमि वाला पिता हिरा चमार ने संपरिवर्तित करवायी

Cont. ---

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

संपरिवर्तन बिना विधिक विभाजन किये मात्र सहमति कि हमने मौके पर अपने-अपने हिस्से की जमीन आपस में बंटवारा कर काबिज है। परन्तु सहमति पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि कौन-से खसरे पर कौन खातेदार काबिज होगा और उसका हिस्सा कितना होगा। इस प्रकार नक्शा भी सहमति-पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

ख० नं० 1575 का रकबा 02 बिस्वा है जिसको वर्ग गज में रूपान्तरित करे तो 302.50 वर्ग होता है फिर ख० नं० 1575 में से 2000 वर्ग गज का संपरिवर्तन कैसे हुआ। ख० नं० 1576 में से 1000 वर्ग गज का संपरिवर्तन होने के उपरान्त 966.25 वर्ग गज भूमि शेष रहती है जो कि कृषि भूमि है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात का मौखिक बँटवारा भी स्पष्ट नहीं है। ख० नं० 1575 का रकबा 302.50 वर्ग गज था फिर भी संपरिवर्तन 2000 वर्ग-गज कर दिया जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1 लगा० 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वो वादग्रस्त आराजियात विधिक संपरिवर्तित भूमि को छोड़ते हुये किसी प्रकार का अन्तरण न करे, दखलअंदाजी न करे, निर्माण न करे और न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] को जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested